उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-2

संख्या- I/1150509/2025

लखनऊ दिनांक 21-11-2025

विज्ञप्ति

(संशोधन आदेश)

नियुक्ति अनुभाग-2 के विज्ञप्ति आदेश संख्या- I/1114211/2025 दिनांक 13.10.2025 द्वारा वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश सिविल सेवा(कार्यकारी शाखा) के वरिष्ठ वेतनमान से सेवानिवृत्त होने वाले उत्तर प्रदेश सिविल (कार्यकारी शाखा) के 20 वरिष्ठ पी०सी०एस० अधिकारियों के सेवानिवृत्तिक विषयक विज्ञप्ति आदेश निर्गत किया गया है।

उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के कनिष्ठ वेतनमान के 06 अधिकारियों, जिनकी जन्म तिथि 02.01.1966 से 01.01.1967 तक है, वे 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर 31 दिसंबर, 2026 तक सेवानिवृत होंगे, को पूर्व निर्गत वरिष्ठ वेतनमान से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की सेवानिवृत्तिक विज्ञप्ति आदेश संख्या-I/1114211/2025, दिनांक 13.10.2025 में समाहित करते हुए सम्यक विचारोपरान्त अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सिविल (कार्यकारी शाखा) सेवा के वरिष्ठ वेतनमान एवं कनिष्ठ वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी जनवरी, 2026 से दिसम्बर, 2026 (जिनकी जन्मतिथि 02.01.1966 से 01.01.1967 तक है) तक की अवधि में 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित तिथि को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे :-

क्र०	अधिकारियों का नाम व आवंटन वर्ष, (सर्वश्री/श्रीमती)	पद नाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5
1.	भैरपाल-15	अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) गौतमबुद्धनगर।	10.01.1966	31.01.2026
2.	सुरेश राय-19	उप जिलाधिकारी, सोनभद्र	12.01.1966	31.01.2026
3.	चन्द्रभान सिंह-12	उप जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर	15.01.1966	31.01.2026
4.	आशुतोष कुमार दुबे-14	अपर जिलाधिकारी (ना0आ0) कानपुर नगर।	31.01.1966	31.01.2026
5.	विजय शंकर तिवारी-15	अपर जिलाधिकारी (वि०रा०) हमीरपुर।	01.02.1966	31.01.2026
6.	अनिल कुमार-18	अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) लखीमपुर खीरी।	26.02.1966	28.02.2026
7.	बृज किशोर-07	अपर आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।	02.03.1966	31.03.2026
8.	प्रेम कुमार राय-15	अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कुशीनगर।	01.04.1966	31.03.2026
9.	सत्य प्रकाश-07	रजिस्ट्रार, उ0प्र0 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज ।	06.04.1966	30.04.2026

10.	बाबू राम-15	मुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर।	20.04.1966	30.04.2026
11.	राशिद अली खान-13	अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) शाहजहॉपुर।	01.05.1966	30.04.2026
12.	शमशाद हुसैन-09	अपर आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।	02.05.1966	31.05.2026
13.	अजय कुमार सिंह-12	अपर जिलाधिकारी (वि०रा०) मिर्जापुर।	10.05.1966	31.05.2026
14.	अनिल चतुर्वेदी-15	अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अमेठी।	19.05.1966	31.05.2026
15.	रवि शंकर सिंह-18	नगर मजिस्ट्रेट-वाराणसी।	07.06.1966	30.06.2026
16.	महेश प्रकाश-14	मुख्य राजस्व अधिकारी, गोण्डा।	15.06.1966	30.06.2026
17.	भगवान शरण-06	अपर आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल।	30.06.1966	30.06.2026
18.	बच्चू सिंह-06	अपर जिलाधिकारी (भू.अ.) गौतमबुद्धनगर।	01.07.1966	30.06.2026
19.	संजय कुमार-15	नगर मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।	12.08.1966	31.08.2026
20.	राजेश कुमार-19	उप जिलाधिकारी, रामपुर।	22.08.1966	31.08.2026
21.	राम दयाल-22	उप जिलाधिकारी, बहराइच।	01.09.1966	31.08.2026
22.	मिथिलेश कुमार-22	विशेष कार्याधिकारी, राजस्व परिषद, लखनऊ।	01.10.1966	30.09.2026
23.	अभय राज पाण्डेय-24	उप जिलाधिकारी, आजमगढ़।	04.10.1966	31.10.2026
24.	राम आसरे वर्मा-18	अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सहारनपुर।	05.10.1966	31.10.2026
25.	दिग्विजय कुमार सिंह-18	अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) कानपुर देहात।	16.10.1966	31.10.2026
26.	हेम सिंह-14	सचिव, विकास प्राधिकरण, अयोध्या।	13.12.1966	31.12.2026

Digitally signed by ANNAPURNA GARG
Date: 21-11-2025 13:33:31

(अन्नपूर्णा गर्ग)

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।

3- निदेशक,सामूहिक बीमा निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।

4- निम्ननिलिखित को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने जनपद/विभाग में तैनात संबंधित अधिकारियों का सेवानिवृत्ति की तिथि से अवगत कराने तथा उक्त अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व पाँच वर्षो में, यदि वे अन्य जनपदों में तैनात रहे हैं, तो कृपया संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश देने का कष्ट करें कि वे संबंधित जनपदों में अपने विगत पाँच वर्षो की अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करके शासन को उपलब्ध करायें:-

(क) कुलपति महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय,गोरखपुर।

(ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

(ग) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ.प्र. लखनऊ।

(घ) आयुक्त, आवास विकास परिषद, उ.प्र. लखनऊ।

(ड.) उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ।

(च) **मण्डलायुक्त-**मुरादाबाद, मिर्जापुर, कानपुर, झाँसी, वाराणसी, आजमगढ़, बस्ती, देवीपाटन, लखनऊ, आजमगढ़।

(छ) **जिलाधिकारी**-बइराइच, गोण्डा, बाँदा, मेरठ, प्रयागराज, बस्ती, सुल्तानपुर, मऊ, पीलीभीत, आगरा, अयोध्या, देवरिया, कानपुर देहात, गाजीपुर, कानपुर नगर, वाराणसी,लखनऊ, उन्नाव, ललितपुर, सिद्धार्थनगर, रामपुर, सोनभद्र, आजमढ़।

5- विशेष सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी, राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2 उ.प्र. शासन/निदेशक, राज्य सम्पत्ति निदेशालय, जवाहर भवन,लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि यदि उपरोक्त अधिकारियों में से किसी पर आवासीय किराया अथवा अन्य देय बकाया हो तो उसकी वसूली करके समयान्तर्गत अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

6- उ.प्र. सचिवालय पुस्तकालय एवं प्रलेखीकरण केन्द्र/विधि परामर्शी पुस्तकाल/विधान सभा सचिवालय पुस्तकाल को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि यदि उपरोक्त अधिकारियों में से किसी अधिकारी पर पुस्तकों का कोई अवशेष देय हो तो उसकी वसूली करके समयान्तर्गत अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

7- संबंधित अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व समस्त शासकीय देयों का भुगतान सुनिश्चित करें और सेवानिवृत्ति से 05 वर्ष पूर्व की तैनाती का अदेयता प्रमाण पत्र तथा सेवानिवृत्तिक देयों से संबंधित पेंशन प्रपत्र **(02 प्रतियों में)**, जी.आई.एस. प्रपत्र **(04 प्रतियों में),** उपार्जित अवकाश नगदीकरण आवेदन पत्र, **जी.पी.एफ. पासबुक अदयतन प्रविष्टियों सहित फोटो प्रति प्रमाणित तथा मूलरूप में** ससमय शासन को उपलब्ध कराते हुए **वित्त(सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-23/2021-सा-700/दस-2021-301(18)/2021,दिनांक 30-11-2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार ऑन लाइन पेंशन पोर्टल (ईपेंशन.यू0पी0.एनआईसी.इन) पर जाकर संबंधित डी.डी.ओ. के माध्यम से पेंशन प्रपत्रों को नियुक्ति अनुभाग-2 के पेंशन पोर्टल के डी.डी.ओ. (कोड 8505) पर अपलोड कराने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यदि सेवानिवृत्ति की तिथि में कोई विसंगति हो तो शासन को तत्काल अवगत करायें।**

8- प्रबन्धक, सी.एस.आई.टॉवर, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनउ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि यदि उपरोक्त अधिकारियों में से किसी अधिकारी के ऊपर यदि कोई देय हो तो उसकी वसूली करके समयान्तर्गत अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

9- विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव, इरला चेक अनुभाग (वे.प.अनु0-1.) उ.प्र. शासन।

10- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-9(विविध)।

11- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-13(विविध)।

12- नियुक्ति अनुभाग-3, 6 व 7

13- उपर्युक्त सूची के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले संबंधित अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया वे अपनी सेवानिवृत्ति के पूर्व या बाद वे अपना निवास स्थान का पता (पत्र व्यवहार का पता), दूरभाष नं. तथा ईमेल नियुक्ति अनुभाग-2 को एक माह के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दें।

आज्ञा से,

(अन्नपूर्णा गर्ग)

विशेष सचिव।